D:\C K 1\F 9 REKHRAJ\ALL Latter.doc

अति–आवश्यक / ईमेल द्वारा

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,राजस्थान,जयपुर।

क्रमांकःएफ 2 (2) 2020 / विधि / प्रमुवस /   दिनांकः

निमित्त,

समस्त मुख्य वन संरक्षक
उप वन संरक्षक, भू–संरक्षण अधिकारीगण
राजस्थान।

विषयः–न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग ने अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 16(4)वन / 2021 दिनांक 24.1.2022 से लाईट्स साफ्टवेयर में दर्ज न्यायिक प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही पर असन्तोष व्यक्त करते हुए प्रकरणों को लाईट्स साफ्टवेयर पर इन्द्राज व अद्यतन करने तथा न्यायिक प्रकरणों में प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

प्रशासनिक विभाग एवं न्याय विभाग द्वारा समय–समय पर ली गई समीक्षात्मक बैठक एवं जारी परिपत्रों / आदेशों के क्रम में आपको पूर्व में भी न्यायिक प्रकरणों में समयबद्ध एवं त्वरित रूप से कार्यवाही करने के संबंध में समस्त उप वन संरक्षकगण को निर्देशित किया गया है। हाल ही में प्रशासनिक विभाग के पत्र क्रमांक प.16(3)वन / 2019 दिनांक 23.11.2021 के क्रम में आपको कार्यालय पत्रांक 7096–7216 दिनांक 21.12.2021 से निर्देश जारी किये गये है। इसी क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय से संबंधित न्यायिक प्रकरणों में निम्नानुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करावें:–

1 10 से 20 वर्ष एवं 20 वर्ष से अधिक समय से लम्बित न्यायिक प्रकरणों को माननीय न्यायालय से शीघ्र निस्तारण कराये जाने की कार्यवाही करावें। इन प्रकरणों पृथक–पृथक सूची तैयार कर उनके निस्तारण में केसवार विलम्ब के कारण स्पष्ट करते हुए शीघ्र निस्तारण हेतु आपके द्वारा किये गये प्रयासों से संबंधित सूचना अंकित कर भिजवावें।

2 जिन न्यायिक प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर स्थायी समिति / प्रशासनिक विभाग द्वारा अपील दायर करने का निर्णय लिया गया है, ऐसे प्रकरणों में तत्काल अपील दायर कराने की कार्यवाही करावें। अपील दायर करने से शेष रहे प्रकरणों की सूची तैयार कर अब तक अपील पेश नहीं किये जाने के कारण अंकित करते हुए प्रेषित करावें।

3 जिन न्यायिक प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर स्थायी समिति / प्रशासनिक विभाग द्वारा आगे अपील दायर नहीं करने का निर्णय लिया गया है, उनमें 1 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत होने के बाद भी पालना नहीं की गई है, में तत्काल पालना सुनिश्चित कराते हुए ऐसे प्रकरणों की सूची तैयार कर पालना नहीं होने के क्या कारण अंकित करते हुए प्रेषित करावें।

4 जिन न्यायिक प्रकरणों में 1 वर्ष से अधिक समय से लम्बित जवाबदावा पेश नहीं हुआ है, में तत्काल जवाबदावा प्रस्तुत कराने की कार्यवाही करावें तथा ऐसे प्रकरणों की सूची तैयार कर अब तक जवाब पेश नहीं होने के कारण अंकित करते हुए प्रेषित करावें।

4 जिन न्यायिक प्रकरणों में 1 वर्ष से अधिक समय से लम्बित जवाबदावा पेश नहीं हुआ है, में तत्काल जवाबदावा प्रस्तुत कराने की कार्यवाही करावें तथा ऐसे प्रकरणों की सूची तैयार कर अब तक जवाब पेश नहीं होने के कारण अंकित करते हुए प्रेषित करावें।

5 विभाग के विरूद्ध जारी स्टे संबंधी प्रकरणों में जारी स्टे को खारिज कराने प्रयास करावें। तथा ऐसे प्रकरणों की सूची तैयार कर उन्हें खारिज कराने के संबंध में प्रभारी अधिकारी द्वारा किये गये प्रयास का विवरण अंकित करा प्रेषित करावें।

6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण को आवंटित प्रकरणों की सूची एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्य की समीक्षा(Performence Repsrt) प्रेषित करावें।

7 विभाग विरूद्ध निर्णित न्यायिक प्रकरणों की सूची, जिनमें अपील/नो अपील का निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है तथा इनमें अब तक निर्णय नहीं लिये जाने के कारण व किस स्तर पर लम्बित है, की सूची प्रेषित करावें।

उक्त सूचना आवश्यक रूप से दिनांक 15.2.2022 तक भिजवाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(वैंकटेश शर्मा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
श्रम एवं विधि,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एफ 2 (2) 2020/विधि/प्रमुवस/939-960 दिनांक: 9/02/22

1 प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 16(4)वन/2021 दिनांक 24.1.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

2 प्रतिलिपि समस्त मुख्य वन संरक्षकगण, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीनस्थ समस्त उप वन संरक्षकगण को उक्तानुसार सूचना भिजवाने हेतु आपके स्तर से भी निर्देशित करावें।

3 प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभागीय वैबसाईड पर अपलोड करावें।

(वैंकटेश शर्मा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
श्रम एवं विधि,
राजस्थान, जयपुर।